

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश।

रावर-1 चतुर्थ तल, सिएजर बिल्डिंग गोमती नगर विस्तार, सखनऊ-226002
संख्या:18-एस0आई0(लेखा)-233/2024(संजय कुमार यादव)

दिनांक:लखनऊ:फरवरी ,2025

आदेश

पुलिस निरीक्षक(लेखा) श्री संजय कुमार यादव, जनपद-जौनपुर द्वारा योजित निर्देश याचिका संख्या:1796/2022 संजय कुमार यादव बनाम ३०प्र०राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.03.2024 के अनुपालन में याची को पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर के आदेश संख्या:८-101/2016 दिनांक 30.06.2018 द्वारा प्रदत्त दण्डादेश अपास्त कर दिये जाने के फलस्वरूप पुलिस निरीक्षक(लेखा) के पद पर चयनवर्ष-2023 की रिक्ति के सापेक्ष उक्त कर्मी को पदोन्नति प्रदान किये जाने पर विचार किये जाने हेतु प्रकरण भर्ती बोर्ड को सन्दर्भित किया गया था।

2. अध्यक्ष, ३०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के पत्र संख्या:पीआरपीबी-चार-10(28)/2023 (111) दिनांक 31.01.2025 द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली-2015(यथा संशोधित) में निहित निर्देशों के अन्तर्गत अनुपयुक्तों को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर प्राधिकृत विभागीय चयन समिति द्वारा उक्त कर्मी को चयनवर्ष-2023 की रिक्ति के सापेक्ष पुलिस निरीक्षक(लेखा) के पद पर नोशनल पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये जाने तथा पुलिस महानिदेशक, ३०प्र० द्वारा अनुमोदित किये जाने के फलस्वरूप इन्हें तत्कालिक प्रभाव से उनके वर्तमान नियुक्ति स्थान पर ही उनके नाम के सम्मुख अंकित पूर्व चयन वर्ष में उनके वरिष्ठ/कनिष्ठ कर्मी की तिथि से पुलिस निरीक्षक(लेखा) के पद पर नोशनल पदोन्नति प्रदान किये जाने का आदेश पारित किया जाता है, उक्त कर्मी का विवरण निम्नवत है:-

क.	पीएनओ	कर्मी का नाम	पिता का नाम	चयन वर्ष	जनपद/इकाई
1	920640759	संजय कुमार यादव	स्व०मत्यनारायण यादव	2023	जनपद-जौनपुर

3. इनकी वरिष्ठता चयनवर्ष-2023 की रिक्ति के सापेक्ष पदोन्नति पाये इनसे वरिष्ठ कर्मी रविन्द्र कुमार मलिक, पी०एन०ओ०-९२२४९०१४१ के नीचे एवं इनसे कनिष्ठ कर्मी गिरीश चन्द्र सिंह चौहान, पी०एन०ओ०-९२२१२०१०३ के ऊपर यथास्थान निर्धारित की जायेगा।

4. पदोन्नति पाये उक्त पुलिस निरीक्षक(लेखा) अपने नियुक्ति स्थान जनपद/इकाई/शाखा पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। पदोन्नति प्राप्त करने वाले कर्मी के परिवीक्षा काल हेतु ३०प्र० पुलिस लिपिक लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली-2015(यथा संशोधित) में अंकित प्रावधान के अनुसार कार्यवाही अपेक्षित होगी।

5. पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व संबंधित पुलिस निरीक्षक(लेखा) से संलग्न प्रारूप(क) में स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र लेकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शासनादेश संख्या:१३/२१/८९-का-१-१९९७ दिनांक 28.05.1997 के खण्ड-२ में दी गयी निम्नलिखित ०३ परिस्थितियों विद्यमान न हों:-


- (क) यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है।
- (ख) यदि कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिये आरोप-पत्र जारी किया जा चुका है।
- (ग) यदि आपराधिक आरोप के आधार पर कार्मिक के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही लम्बित है अर्थात् न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप-पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है।

उपरोक्त तीनों परिस्थितियों सम्बन्धित पुलिस निरीक्षक(लेखा) के विरुद्ध विद्यमान न हो।

6. यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर-5 में अंकित परिस्थितियों विद्यमान नहीं हैं तो सम्बन्धित कर्मी को पुलिस निरीक्षक(लेखा) के पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर-5 में अंकित परिस्थितियों विद्यमान पायी जाती हैं तो सम्बन्धित कर्मी के पदोन्नति के आदेश का कियान्वयन न कराया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों सहित आख्या मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, ३०प्र० लखनऊ को उपलब्ध कराते हुये दिशा-निर्देश प्राप्त किया जायेगा।

7. यदि सम्बन्धित पुलिस निरीक्षक(लेखा) द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र में अंकित कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाना पाया जाता है तो उसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराये जाने की कार्यवाही उस जनपद/इकाई द्वारा की जायेगी, जिस जनपद/इकाई में सम्बन्धित पुलिस निरीक्षक(लेखा) द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सहित संबंधित कर्मी को पदावनत किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु सम्पूर्ण तथ्य/अभिलेख पुलिस महानिदेशक मुख्यालय, ३०प्र० लखनऊ को उपलब्ध कराया जायेगा।

8. उक्त आदेश की प्रति ३०प्र०पुलिस की वेबसाईट <http://uppolice.gov.in> पर प्रदर्शित की जा रही है। उक्त आदेश की प्रति अपने स्तर से डाउनलोड कर नोशनल पदोन्नति आदेश का कियान्वयन तत्काल सुनिश्चित कराने का कष्ट करें तथा अनुपालन से सर्वसम्बन्धित सहित इस मुख्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।


(निर्मल सिंह)

पुलिस महानिरीक्षक(स्थापना)
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि: अध्यक्ष, ३०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ को उनके उपरोक्त संदर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ प्रेपित।

2. अपर पुलिस महानिदेशक, वाराणसी जौन, वाराणसी को सूचनार्थ प्रेपित।
3. पुलिस महानिरीक्षक, वाराणसी परिक्षेत्र, वाराणसी को सूचनार्थ प्रेपित।
4. पुलिस अधीक्षक, जौनपुर को आदेश की ०२ प्रतियां इस आशय से संलग्न कर प्रेपित हैं कि वह आदेश की एक प्रति पुलिस निरीक्षक(लेखा) संजय कुमार यादव, पी०एन०ओ०-९२०६४०७५९ को प्राप्त कराकर दूसरी प्रति पर उनके प्राप्ति के हस्ताक्षर दिनांक सहित लेकर उसकी प्रति इस मुख्यालय को उपलब्ध करने का कष्ट करें।